

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा0 पत्र/119/17

दर्ज दिनांक:-02.11.2017

1. रामकिशन } पुत्रान स्व0 रतन निवासी बझौरा तह0 व जिला भरतपुर।
2. पदम सिंह }

.....वादीगण

बनाम

3. राजस्थान सरकार तामील जरिये पैरोकार सरकार तहसीदार भरतपुर।
4. राजस्थान ग्रामीण बैंक भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।प्रतिवादीगण

उपस्थित:

प्रताप सिंह एडवोकेट

वादीगण अभिभाषक
प्रतिवादीगण अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.01.2019

आज यह पत्रावली वादीगण के वकील के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहते। दावा वादीगण Not Press में खारिज करने का निवेदन किया है।

चूंकि वकील वादीगण अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहते। अतः दावा वादीगण Not Press किये जाने पर इसी Stage पर खारिज किया जाता है। साथ ही वकील वादीगण द्वारा दावा के साथ पेश की गई मूल रिलीज डीड को वापस लौटाने का अनुरोध किया है। अतः रिलीज डीड की असल प्रति प्राप्त कर मूल रिलीज डीड को लौटाया जावे। दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर